बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 117 / 2018

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, छपरा

पटना 14, दिनांक–

विषय – सीवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत NH-101 खोरीपाकर–महम्मदपुर (45.00–65.140 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.098 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Road/36521/2018/4338 दिनांक 06.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 14.098 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भागों (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। भाग–A में 1–5 शर्त्तें तथा भाग–B में 1–9 शर्त्तें सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है–

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 80,62,687/– (रूपये अस्सी लाख बासठ हजार छः सौ सतासी) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 292/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 14.098 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 88,25,348/– (रूपये अठासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. **उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 1,68,88,035/– (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख अठासी हजार पैतीस) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–5 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–9 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./117/2018-1090 दिनांक– 02/12/2020

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज/वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.12.2020
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।